न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16 / 2022 (2022 / 233) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शंभुलाल पिता जगन्नाथ ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—शंकरलाल पिता जगन्नाथ ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बसन्तीदेवी पत्नि भंवरलाल ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शिवलाल पिता रतनलाल ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित
1. हरीश चन्द्र टेलर— प्रार्थी अधिवक्ता
2. पर्वत सिंह चुण्डावत— विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—12.07.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 162 रकबा 0.65 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 923 पर दर्ज होकर स्थित है तथा इसके साथ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सामलाती गे.मु. आचा की आराजी संख्या 163 भी स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम रायपुर से सुरास जाने वाली आम सड़क से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 155 व विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 167 व विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 166, 164 की पूर्वी पालीयों पर यानि फिर कुएं के पास होकर यानि आराजी संख्या 167, 166, 164, 157, 158 के मध्य 15 फीट चौड़ाई में स्थित है यहीं रास्ते से सामलाती कुएं पर आवागमन करने के लिये उपलब्ध है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम रायपुर में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 162 में संज बैल बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो बिलानाम आराजी संख्या 155 व विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 167 व विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 166, 164 की पूर्वी पालीयों पर यानि फिर कुएं के पास होकर यानि आराजी संख्या 167, 166, 164, 157, 158 के मध्य 15 फीट चौ[illegible] स्थित है यहीं रास्ते से सामलाती कुएं पर आवागमन करने के लिये उपलब्ध है को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम [illegible] रास्ते का खुलाया [illegible] जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रक[illegible] दर्ज रजिस्टर किया [illegible] विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित होकर रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:10 IST
Reason: SelfAttested

देने में सहमति व्यक्त की गई। एवं विपक्षी संख्या 4 फोरमल पक्षकार जिन्होने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि उक्त आराजी में कोई रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर कोई रास्ता नही है। मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में नही है। वर्तमान में उक्त आराजी पर आवागमन नही हो रहा है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी संख्या 167 मे से 44 वर्गमीटर, आराजी संख्या 166 मे से 48 वर्गमीटर, आराजी संख्या 164 मे से 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 162 मे से 48 वर्गमीटर, आराजी संख्या 157 मे से 80 वर्गमीटर, आराजी संख्या 158 मे से 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 160 मे से 48 वर्गमीटर, कुल किता 6 कुल रकबा 508 वर्गमीटर की डीएलसी दर 619892/—रूपये प्रति हैक्टयर अनुसार 31487 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 62974 रूपये मुआवजा राशि बनती है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते को बिलानाम सरकार दर्ज कराया जाकर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता मौके पर मोजुद नही है एवं प्रार्थी की आराजियात में आवागमन नही होना तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विपक्षीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। प्रार्थी नियमानुसार डीएससी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 162 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 167 मे से 44 वर्गमीटर, आराजी संख्या 166 मे से 48 वर्गमीटर, आराजी संख्या 164 मे से 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 162 मे से 48 वर्गमीटर, आराजी संख्या 157 मे से 80 वर्गमीटर, आराजी संख्या 158 मे से 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 160 मे से 48 वर्गमीटर, कुल किता 6 कुल रकबा 508 वर्गमीटर की डीएलसी दर 619892/—प्रति हैक्टयर के अनुसार 31487/—रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 62974/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपु[illegible]नामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 [illegible] सुनाया गया।

12/07/2022

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16 / 2022 (2022 / 233) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शंभुलाल पिता जगन्नाथ ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—शंकरलाल पिता जगन्नाथ ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—बसन्तीदेवी पत्नि भंवरलाल ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—शिवलाल पिता रतनलाल ढ़ोली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 162 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 167 मे से 44 वर्गमीटर, आराजी संख्या 166 मे से 48 वर्गमीटर, आराजी संख्या 164 मे से 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 162 मे से 48 वर्गमीटर, आराजी संख्या 157 मे से 80 वर्गमीटर, आराजी संख्या 158 मे से 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 160 मे से 48 वर्गमीटर, कुल किता 6 कुल रकबा 508 वर्गमीटर की डीएलसी दर 619892/—प्रति हैक्टयर के अनुसार 31487/—रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 62974/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

12.07.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:10 IST
Reason: SelfAttested